न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 28/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. हीरालाल पुत्र सरदारजी		1. गीता पत्नी कुनाराम
2. चुनाराम पुत्र पूनाराम		2. कुनाराम पुत्र पुनाराम
3. चेलाराम पुत्र पूनाराम		3. धीरा पुत्र मेघा
4. केलीदेवी पत्नी सरदार		4. सोहन पुत्र सरदार
5. अशोक कुमार पुत्र शिवराम जातिगण कुमावत निवासीगण बेरा गुन्दा, पिपलीया कलॉ तहसील रायपुर जिला पाली		5. नारायण पुत्र सरदार
		6. मैना बेवा बचना
		7. धर्मा पुत्र बचना
		8. तेजा पुत्र बचना
6. गुणेशराम पुत्र छगाराम जाति कुमावत निवासी झूठा तहसील रायपुर जिला पाली		9. देवा पुत्र हजारी जातिगण कुमावत निवासीगण बेरा गुन्दा, पिपलीया कलॉ, तहसील रायपुर
		10. पिस्तादेवी पत्नी भगवान जी जाति कुमावत निवासीय रायपुर
		11. तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दिनेश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5, 9 व 10
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से उपस्थित।
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 29.11.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2012 गीतादेवी बनाम धीरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 6 से 8 भी अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है, जिसका विभाजन नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188के तहत वाद प्रस्तुत कर विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दायर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए न तो तनकीयात कायम की एवं न ही साक्ष्य लिए। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि विरूद्ध रूप से निष्पादित करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो खारिज़ योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री अपास्त कराते हुए प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 9 व 10 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है, जो खारिज करते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वाद के तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 एवं आदेश 8 नियम 9 सी0पी0सी0 का पेश किया, जो स्वीकार किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों का खण्डन किया था तथा अन्वीक्षा चाही गई थी। इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे प्रकरण में पक्षकारान् के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम करते एवं उन तनकीयात पर साक्ष्य संग्रहित करते हुए साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते, जो नहीं किया गया एवं प्रकरण में सीधे ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जो न केवल विधि विरूद्ध है, अपितु किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गीतादेवी बनाम धीरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर उन तनकीयात पर पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के तहत तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली